BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 464 OF 2025

IN THE MATTER OF:
RAJESH GOEL ....**APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UP & ORS. ....**RESPONDENT**

INDEX

SL. NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	Affidavit in compliance of order dated 15.10.2025 on Behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board.	1-2
2	**ANNEXURE-1** Copy of the joint committee report with Annexure	3-27
3	Vakalatnama	28

NEW DELHI

DATED: 31.12.2025

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 464 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Rajesh Goel **.... Applicant**

Versus

State of U.P. & Ors. **.... Respondents**

AFFIDAVIT IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 15.10.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

I, Ajeet Kumar Suman aged about 51 years, S/o Late Baliram Vimal presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as UPPCB), Kanpur Nagar do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

2. That vide its order dated 15.10.2025 this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred to as Hon'ble Tribunal) has constituted a Joint Committee comprising the representatives of Central Pollution Control Board (CPCB), UPPCB and District Magistrate, Kanpur and directed to meet within two weeks,

undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action and submit its report within two months by appointing the UPPCB as nodal agency.

3. That in compliance to the order dated 15.10.2025 the joint committee has undertaken the site visit and carried out the inspection of the site in question on 03.11.2025.
A detailed Joint Committee Report along with its respective annexures is attached herewith and marked as **Annexure-R/1**.

NOTARY GOVT. OF INDIA V.K. Upadhyay Advocate Kanpur Nagar (U.P.) Regd. No. 8552 Ex. Dt. 09/06/2026 30/12/2025

4. That the present affidavit is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

AK Kumar

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Kanpur Nagar on this the 30 day of December, 2025 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

AK Kumar

DEPONENT

Certified that this document presented before me today by Shri. Ajeet Kumar Suman who is identified by Sri...... verified per identification Self Hence Attested Virendra Kumar Upadhyay Notary Govt. of India Kanpur Nagar (U.P.) 30/12/2025

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0 464/2025 राजेश गोयल बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.10.2025 के अनुपालन में The Yog Galaxy Society Located at Civil Lines, Latheywali Kothi, Kanpur Uttar Pradesh-208001 की संयुक्त निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त के सम्बन्ध में कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर के पत्रांक 8804/एस.टी./2025, दिनांक 18, अक्टूबर, 2025 द्वारा परामर्शदाता (न्यायिक), राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित संलग्न ई–मेल दिनांक 17.10.2025 एवं उसके साथ संलग्न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित Original Application सं0 464/2025 राजेश गोयल बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.10.2025 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में समस्त बिन्दुओं पर जॉच करते हुये गठित समिति की तथ्यात्मक आख्या दिनांक 04.11.2025 तक प्रेषित किये जाने हेतु प्राप्त निर्देशों के क्रम में सन्दर्भित परियोजना The Yog Galaxy Society Located at Civil Lines, Latheywali Kothi, Kanpur Uttar Pradesh-208001 का स्थलीय निरीक्षण अपर जिलाधिकारी (नगर), कानपुर नगर की अध्यक्षता में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 03.11.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्य निम्नवत् है:–

1. उक्त द योग गैलेक्सी परियोजना, 15/82–83, सिविल लाइन्स, कानपुर नगर में स्थापित है, जो कि आवासीय सोसाइटी है।
2. उक्त आवासीय सोसाइटी के हाउस नं0 डी–23 में श्री मनोज सोनी एवं हाउस नं0 डी–24 में श्री सचिन सोनी का निवास है। निरीक्षण के समय उक्त हाउस में किसी भी प्रकार का निर्माण का कार्य नहीं होता पाया गया, मात्र रंगाई–पुताई से सम्बन्धित कार्य किया जाता पाया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित श्री मनोज सोनी, श्री सचिन सोनी एवं द योग गैलैक्सी विला ओनर्स एसोसियेशन के पदाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि श्री राजेश गोयल उक्त सोसाइटी के निवासी नहीं है, जिसके सत्यापन हेतु द योग गैलैक्सी विला ओनर्स एसोसियेशन के पदाधिकारियों द्वारा दिनांक 03.11.2025 द्वारा सत्यापन पत्र प्रस्तुत किया गया है। निरीक्षण के समय लिये गये जियो टैगिंग फोटोग्राफ

3. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर के पत्रांक 846/सा0–261/25 दिनांक 31.10.2025 द्वारा शिकायतकर्ता श्री राजेश गोयल, निवासी योग गैलेक्सी सोसाइटी, सिविल लाइन्स, लठ्ठे वाली कोठी, कानपुर नगर–208001 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्रकरण की जॉच दिनांक 03.11.2025 को उपस्थित रहने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु निरीक्षण के समय श्री राजेश गोयल उपस्थित नहीं हुये। स्पीड पोस्ट को आनलाइन ट्रैक किये जाने पर ज्ञात हुआ कि पत्र वापस हो गया है। (संलग्नक–क)

4. उक्त आवासीय सोसाइटी के निवासी श्री मनोज सोनी एवं श्री सचिन सोनी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सोसाइटी में हाउस के निर्माण का कार्य वर्ष 2012 तक पूर्ण किया गया था, जिसके साक्ष्य के रूप में कानपुर जल संस्थान, कानपुर विकास प्राधिकरण की रसीद की छायाप्रति पत्र के साथ प्रस्तुत की गयी। (संलग्नक–ख)
5. उक्त प्रश्नगत प्रकरण पर जॉच के दौरान सिंचाई विभाग के श्री सार्थक, सहायक अभियन्ता एवं श्री प्रीतेश राय, जूनियर इंजीनियर, कानपुर प्रखंड निचली गंगा नहर, कानपुर के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। कार्यालय अधिसासी अभियन्ता, कानपुर प्रखण्ड निचली गंगा नहर, कानपुर के पत्रांक 3729/का0प्र0/नि0गं0न0का0/एन0जी0टी0/, दिनांक 03.11.2025 द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश सं0 164/2020/2031/20–27–सिं0–4–07(एन0जी0टी0)/16 टी0सी0, दिनांक 04.09.2020 द्वारा लांगीट्यूड एवं लैटीट्यूड के आधार पर नो डेवलपमेन्ट जोन (Flood Return Period 5 years) एवं रेगुटेरी जोन (Flood Return Period 25 years) को अधिसूचित किया गया है तथा नो डेवलपमेन्ट एवं रेगुलेटरी जोन के चिन्हीकरण हेतु जनपद कानपुर में क्रमशः 570 नग एवं 639 नग पिलर स्थापित कयि गये है। उक्त शासनादेश के आधार पर Yog galaxy society के हाउस नं0–23 एवं 24 नो डेवलेपमेन्ट जोन (पिलर सं0 3219, 3220) के बाहर है तथा रेगुलेटरी जोन (पिलर सं0 3861, 3862) के अन्दर है। कार्यस्थल का गूगल मानचित्र की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न की गयी है। (संलग्नक–ग)।
6. उक्त प्रश्नगत प्रकरण पर जॉच के दौरान कानपुर विकास प्राधिकरण के श्री सी0बी0 पाण्डेय, जोनल प्रभारी, प्रवर्तन जोन–1 प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। प्रभारी अधिकारी (प्रवर्तन जोन–1) कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर के पत्रांक डी/1336/ प्र0अ0(प्र0–1) /का0वि0प्रा0/25–26, दिनांक 04.11.2025 द्वारा भूखण्ड सं0 23 वं भूखण्ड सं0 24 पर स्थित भवन के स्वीकृत मानचित्र की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की गयी है। (संलग्नक–घ)
7. उक्त सोसाइटी से जनित घरेलू उत्प्रवाह ड्रेन के माध्यम से कॉमन सीवेज पम्पिंग स्टेशन जाजमऊ के द्वारा 130 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 एवं 43 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 जाजमऊ से शोधित होकर इरीगेशन चैनल में सम्प्रेषित किया जाता है, जिसका प्रयोग अन्ततः किसानों द्वारा सिंचाई में प्रयोग किया जाता है।

अतः उपरोक्त प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में गठित समिति की तथ्यात्मक जॉच आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(अजीत कुमार सुमन) क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर	(संदीप रॉय) वैज्ञानिक–ई, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ	(राजेश कुमार) अपर जिलाधिकारी (नगर), कानपुर नगर

संलग्नक (क)

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
कानपुर नगर

संदर्भ 846/सा0-261/25 दिनांक: 31.10.25

सेवा में,

श्री राजेश गोयल,
निवासी योग गैलेक्सी सोसाइटी,
सिविल लाइन्स, लठ्ठे वाली कोठी,
कानपुर नगर–208001।

विषयः–माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0 464/2025 राजेश गोयल बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.10.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित Original Application सं0 464/2025 राजेश गोयल बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.10.2025 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में The Yog Galaxy Society located at Civil Lines, Latheywali Kothi, Kanpur, Uttar Pradesh-208001 परियोजना का संयुक्त निरीक्षण अपर जिलाधिकारी (नगर), कानपुर की अध्यक्षता में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर विकास प्राधिकरण, लोअर गंगा कैनाल एवं उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक 03.11.2025 को किया जाना प्रस्तावित है। उक्त संयुक्त निरीक्षण के दौरान आपकी उपस्थिति अनिवार्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तावित संयुक्त निरीक्षण दिनांक 03.11.2025 को परियोजना स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें, जिससे उक्त प्रकरण की जॉच कर आख्या तैयार कर मा0 एन0जी0टी0 में प्रेषित की जा सके। उक्त के सम्बन्ध में अंपनी उपस्थिति हेतु सूचना प्रेषित करें।

भवदीय
AJEET KUMAR SUMAN
Digitally signed by AJEET KUMAR SUMAN
Date: 2025.10.31 14:54:36 +05'30'
(अजीत कुमार सुमन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
2. अपर जिलाधिकारी (नगर), कानपुर नगर।

क्षेत्रीय अधिकारी

Kanpur HO 208001
EU754680280IN, IVR No1: 18002[illegible]
31-10-2025 17:37:27, Counter N[illegible]
To: RAJESH GOYAL
KNP, KANPUR NA, 208001
From: REGIONAL OFFICE UP POLLUTION
KNP, KANPUR N, 208001
Base Amt: 19.00
Wt:50(Actual)
P.Mode: Cash
POD:No, www.indiapost.gov.in

Speed Post Tracking for India Post

Track your Speed Post consignments instantly with real-time updates

Free, fast, and reliable tracking for all India Post services

Enter your speed post tracking number to track your consignment

EU754680380IN

Download
Downloadin
MediaGr

Latest Status

Consignment Number	Current Status	Last Updated	Article Type	Booked At
EU754680380IN	Item Redirected	November 4, 2025 at 11:06 AM	SP_INLAND_DOC	Kanpur HO

Booked On	Origin Pincode	Delivery Location	Destination Pincode	Tariff
October 31, 2025 at 5:37 PM	208001	Kanpur HO	208001	22.33 INR

Booked — Dispatched — In Transit — Out for Delivery — Delivered

Get Live Updates via WhatsApp

Refresh

Share

List View   Map View

Package ...

Item Redirected

13 **Nawabganj HO**

November 4, 2025, 11:06 AM (5 hours ago)

Remarks: Missent - Redirected to Nawabganj HO

Item Received At PO

12 **Nawabganj HO**

November 4, 2025, [illegible] AM ([illegible] hours ago)

Item Dispatched

11 **Ma Kanpur GPO STG**

November 4, 2025, [illegible] AM ([illegible] hours ago)

Item Dispatched

10 **Kanpur NSH**

November 4, 2025, 2:36 AM (14 hours ago)

Item Bagged

9 **Kanpur NSH**

November 3, 2025, 8:57 PM (19 hours ago)

Item Received At PO

8 **Kanpur NSH**

November [illegible], 2025, 5:46 PM (22 hours ago)

Item Dispatched

7 **Kanpur HO**

November 3, 2025, 1:53 PM (1 day ago)

Item Bagged

6 **Kanpur HO**

November 3, 2025, 1:48 PM (1 day ago)

Item Redirected

5 **Kanpur HO**

November 3, 2025, 1:20 PM (1 day ago)

Remarks: Missent - Redirected to Nawabganj HO

Item Received At PO

4 **Kanpur HO**

November [illegible], 2025, 8:16 AM (1 day ago)

Item Returned To Sender

3 **Kanpur HO**

November [illegible], 2025, 5:25 PM ([illegible] days ago)

Remarks: Returned to sender

Item Invoiced

2 **Kanpur HO**

November [illegible], 2025, 9:50 AM (2 days ago)

Item Received At PO

1 **Kanpur HO**

× ⊕ Package

19

संलग्नक-(ख) 04/11/25

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to inform all concerned that there is no resident by the name of Mr. Rajesh Goel in **YOG Galaxy Villa Owners Society** since the formation of the society, neither as an owner nor as a tenant of any villa within the premises.

This statement is issued to clarify and place on record the factual position regarding society membership and residency.

For YOG Galaxy Villa Owners Society

NAVIN DAROLIA
PRESIDENT
Mob. No. 6387645370

ARUN VERMA
SECRETARY
Mob. No. 9839233557

Date: 03-11-2025

Place: KANPUR

ASO
04/11/25

Date: 03.11.2025 Time: 3:30 PM

WRITTEN STATEMENT

By Residents of House No. D-23 & D-24, YOG Galaxy Society, Kanpur

We, Manoj Soni (Resident of House No. D-23) and Sachin Soni (Resident of House No. D-24), hereby submit our written statement before the Joint Committee constituted by the Hon'ble District Magistrate, Kanpur Nagar for verification of facts in reference to the petition filed before the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi by Shri Rajesh Goel regarding alleged illegal construction within 30 meters of the Ganga river bank.

Statement

1. The Joint Committee, headed by the Additional District Magistrate (City) Dr. Rajesh Kumar, along with Shri Ajeet Kumar Suman, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, and Shri Sandeep Roy, Scientist-E, Central Pollution Control Board, visited YOG Galaxy Society on 03.11.2025 at 3:30 PM for on-site inspection.

2. During the visit, our houses D-23 and D-24 were physically examined by the Committee.

3. We confirm that the construction of our houses was completed prior to the year 2012.

Manoj Soni Sachin Soni

4. We further submit that documentary evidence proving construction done in 2012 is available and shall be produced before the competent authority as supporting proof.

5. At present, only minor renovation work is being undertaken, and no new construction activity has been initiated.

6. On inquiry regarding the residence of the complainant Shri Rajesh Goel, the President of the Society, Shri Naveen Daroila, and Secretary, Shri Arun Verma, informed the Committee that no such person has ever resided in YOG Galaxy Society, either permanently or temporarily, since its establishment.

Declaration

We affirm that the above statement is true and correct to the best of our knowledge and belief. We have given this statement voluntarily in the presence of the Committee Members mentioned as below :-

In presence of:

Dr. Rajesh Kumar, Additional District Magistrate (City), Kanpur Nagar

Shri Ajeet Kumar Suman, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board

Manoj Soni Sachin Soni

Shri Sandeep Roy, Scientist-E, Central Pollution Control Board.

Signatures-

Names	House No.	Signature
Mr. Manoj Soni	D-23	Manoj Soni
Mr. Sachin Soni	D-24	Sachin Soni

23

बुक सं० 12154 **कानपुर जल संस्थान** रसीद सं० 50

बैनाझावर रोड, कानपुर -208002

	वर्तमान		अवशेष		
					खाता नं० दिनांक 2-07-09
जल कर					उपभोक्ता नं० 15/83 पार्ट- 24
सीवर कर					
जल मूल्य					अवधि सीवर विकास शुल्क
न्यूनतम प्रभार जल मूल्य					
न्यूनतम प्रभार सीवर					नकद / चेक सकरने पर मान्य
सेवा शुल्क					चेक नं० दिनांक बैंक का नाम
अधिभार					नाम श्री अभिषेक कपूर S/o श्री मदन चन्द कपूर
विकास शुल्क सीवर	9311=00				
अग्रिम जल मूल्य सीवर	500=00				मकान नं० 15/83 पार्ट- 24 सिविल लाईन्स
मीटर जमानत / किराया					
परीक्षण शुल्क					रुपया (शब्दों में) नौ हजार आठ सौ ग्यारह
जमानत					Rs. 9811
अन्य					प्राप्त किया
कुल योग अंको में	9811=00				

यह रसीद स्वामित्तव का अधिकार नहीं प्रदत्त करती है

यह रसीद विधिक उपयोग के लिए नहीं है।

00, AUG -08

(मुहर: जल निगम कानपुर जल संस्थान)

२८८४

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता जोन - ( )
कानपुर जल संस्थान, कानपुर

पत्रांक - अ0अ0 /डी0- 200 दिनांक 15/7/03

सीवर संयोजन बिल

भवन स्वामी : Shri आलोकभाल कपूर S/O श्री नयन-चन्द

भवन संख्या पता : कपूर, 15/83 Civil 24 [illegible]वाली कोठी सिविल लाइन्स, कानपुर

क्र0	शुल्क प्रभार	क्षेत्रफल वितरण	वर्ग मीटर	दर प्रति मीटर	धनराशि रू0 में
1.	विकास शुल्क (अ)	क्षेत्रफल	137.23	रू0 25.62	3376-45
	(ब)	निर्मित क्षेत्रफल (भूतल एंव प्रथम तल को छोड़कर)	138.81	12.81	1778=15
2.	न्यूनतम सीवर प्रभार	सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्रफल	216.26	19.22	4156=92
3.	संयोजन शुल्क				500=00
	योग रू0				9811=12

Say Rs= 9811=00

अधिशासी अभियन्ता जोन (I) कानपुर जल संस्थान,

सहायक अभियन्ता कानपुर जल संस्थान जोन - ( )

अवर अभियन्ता 15/7/03

विभाग का नाम :

कानपुर विकास प्राधिकरण

दिनांक : 6/9/06

धन प्राप्ति रसीद

40

श्री अभिषेक किशोर कपूर

37/13 लाठी मोहाल कानपुर

एक लाख पचास हजार छः सौ पचपन

नकद/चेक/ड्राफ्ट नम्बर/ड्राफ्ट नम्बर)

6/9/06 को 15783 पार्ट नजूल प्लाट

नं० 125 प्राइवेट भू नं० 25

प्राप्त किये।

योजना/लेखा शीर्षक	धनराशि रुपये	पैसे
अवशेष मानचित्र शुल्क	Rs 5 =	00
पर्यवेक्षण शुल्क	Rs 1460 =	00
अम्बार शुल्क	Rs 3200 =	00
सुदृढ़ीकरण शुल्क	Rs 7680 =	00
उप विभाजन शुल्क	Rs 19760 =	00
कम खुले हुए भाग का शुल्क	Rs 118560 =	00
योग	Rs 150655 =	00

रुपये (शब्दों में) एक लाख पचास हजार छः सौ पचपन

हस्ताक्षर

मूल प्रति

कानपुर विकास प्राधिकरण

दिनांक : 12/12/[illegible]

धन प्राप्ति रसीद

2004-05

7662 39

[illegible] अग्रवाल

एक हजार दो सौ पचपन मात्र

नकद/बैंक/चेक नम्बर/ड्राफ्ट नम्बर

[illegible] 52/62 पार्ट

प्राइवेट [illegible]

[illegible] बिल्डिंग [illegible]

कानपुर ग्राम [illegible]

योजना लेखा का [illegible]	धनराशि रुपये	पैसे
[illegible] 251 व.मी.		
@ रू. 5/- प्रति व.मी.		
[illegible] शुल्क	1255=00	
योग	1255=00	

एक हजार दो सौ पचपन मात्र

हस्ताक्षर

कैशियर/प्राधिकृत अधिकारी

मूल प्रति

कानपुर विकास प्राधिकरण

विभाग का नाम : [illegible]

दिनांक : 29.03.06

[illegible]

	योजना/लेखा कोड	धनराशि रुपये	पैसे
[illegible]			
[illegible]			
[illegible] भूखंड [illegible]			
	[illegible] →	118560-00	
	[illegible] शुल्क	1455-00	
	[illegible] शुल्क	3200-00	
	[illegible] शुल्क	7675-00	
	[illegible] शुल्क	19765-00	
[illegible]		1,59,655-00	

हस्ताक्षर

कैशियर/[illegible]

संलग्नक-(ज) 28

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
कानपुर प्रखण्ड निचली गंगा नहर, कानपुर

पत्रांकः-3729 /का०प्र०नि०गं०न०का०/एन०जी०टी०/ दिनांक : 03 .11.2025

विषयः- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० सं० 464/2025 राजेश गोयल बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.10.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- आपका पत्र सं० -840/सा-261/25/दिनांक 29.10.2025

अपर जिलाधिकारी (नगर), कानपुर नगर।

उपर्युक्त विषय के क्रम में आप द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० सं० 464/2025 राजेश गोयल बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.10.2025 के अनुपालन में पैरा नं० 2 के पॉइंट 2. The Yog galaxy society located at Civil lines, Latheywali kothi, kanpur, Uttar Pradesh - 208001 के स्थल से फ्लड प्लेन जोन से सम्बंधित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है। उक्त के क्रम में दिनांक 03.11.2025 को कार्यस्थल का निरीक्षण खण्ड के सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता द्वारा किया गया है।

शासनादेश संख्या 164/2020/2031/20-27-सिं0-4-07(एन0जी0टी0)/16 टी0सी0, दिनांक 04.09.2020 द्वारा लांगीट्यूड एवं लैटीट्यूड के आधार पर नो डेवलपमेन्ट जोन (Flood Return Period 5 years) एवं रेगुटेरी जोन (Flood Return Period 25 years) को अधिसूचित किया गया है तथा नो डेवलपमेन्ट एवं रेगुलेटरी जोन के चिन्हीकरण हेतु जनपद कानपुर नगर में क्रमशः 570 नग एवं 639 नग पिलर स्थापित किये गये है। उक्त शासनादेश के आधार पर Yog galaxy society के हाउस नं० - 23 एवं 24 नो डेवलपमेन्ट जोन (पिलर सं० - 3219, 3220) के बाहर है तथा रेगुलेटरी जोन (पिलर सं० - 3861, 3862) के अंदर है। कार्यस्थल का गूगल मानचित्र संलग्न है।

संलग्नक :- 1. गूगल मैप।

2. शासनादेश की छायाप्रति।

for 03/11/2025
अधिशासी अभियन्ता
कानपुर प्रखण्ड निचली गंगा नहर
कानपुर

GOOGLE MAP OF YOG GALAXY SOCIETY

REGULATORY
NO DEVELOPMENT

महत्वपूर्ण

संख्या-164 /2020 /2031/20-27-सिं0-4-07(एन0जी0टी0) /16टी0सी0

प्रेषक,

अनिल गर्ग,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0, शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 04 सितम्बर, 2020

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 के अनुपालन में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के क्रियान्वयन के क्रम में फ्लड प्लेन जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 एवं सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्रांक-1149/18-27-सिं0-3-52एल/18, दिनांक 17 अक्टूबर 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के सीमान्तर्गत जनपद बिजनौर से उन्नाव, कानपुर तक गंगा नदी के दोनों किनारों से 100 मी0 तक किसी भी प्रकार के निर्माण, अतिक्रमण, व्यवसायिक गतिविधि, पट्टे, नीलामी, प्रदूषण करने वाली गतिविधियां एवं सभी गतिविधियों को रोके जाने हेतु उक्त क्षेत्र को "नो डेवलपमेंट/नो कंस्ट्रक्शन जोन" अधिसूचित किया गया था।

2. उक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-232/प्र0अ0/मु0अ0ज0सं0, दिनांक 06 अगस्त, 2020 द्वारा, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 के अनुपालन में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के क्रियान्वयन के क्रम में फ्लड प्लेन जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश के 16 जनपदों को नो डेवलपमेन्ट जोन/रेग्यूलेटरी जोन के लांगीट्यूड/लैटिट्यूड एवं नो डेवलपमेन्ट जोन/रेग्यूलेटरी जोन अधिसूचित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

3. इस सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 एवं सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्रांक-1149/18-27-सिं0-3-52एल/18, दिनांक 17 अक्टूबर 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के सीमान्तर्गत जनपद बिजनौर से उन्नाव, कानपुर तक गंगा नदी के दोनों किनारों से 100 मी0 तक किसी भी प्रकार के निर्माण, अतिक्रमण, व्यवसायिक गतिविधि, पट्टे, नीलामी, प्रदूषण करने वाली गतिविधियां एवं सभी गतिविधियों को रोके जाने हेतु उक्त क्षेत्र को "नो डेवलपमेंट/नो कंस्ट्रक्शन जोन" अधिसूचित किया गया है।

(2)

गंगा नदी के किनारों में हो रहे अवैध निर्माण/अतिक्रमण को रोकने में सम्बन्धित विभागों का प्रभावी नियंत्रण न होने पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश में निम्न निर्देश दिये गये हैः-

"Till the demarcation of the flood plains and identification of permissible and non-permissible activities by the state government of this judgment, we direct that 100 meters from the edge of the river would be treated as no development/construction zone in segment-B of Phase-I (Haridwar to Unnao, Kanpur)"

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा उक्त आदेश में सेगमेंट बी फेज-1 (हरिद्वार से उन्नाव, कानपुर) तक गंगा नदी के किनारों से 100 मी0 तक नो डेवलपमेंट/नो कंस्ट्रक्शन जोन बनाये जाने हेतु निर्देशित करते हुए सिंचाई विभाग, उ0प्र0 एवं नगर विकास विभाग को उपरोक्त कार्य के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।

4. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में फलड प्लेन जोन के चिन्हांकन के सम्बन्ध में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसमें प्रदेश के सीमान्तर्गत जनपद बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कांशीराम नगर, फर्रूखाबाद, कन्नौज, सम्भल, बदायूँ, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव एवं कानपुर में गंगा नदी के दोनों किनारों पर नो डेवलपमेंट जोन एवं रेग्यूलेटरी जोन के लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड उपलब्ध कराये गये हैं।

5. प्रदेश के सीमान्तर्गत निम्नलिखत जनपदों में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड के आधार पर नो डेवलपमेंट एवं रेग्यूलेटरी जोन अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित किया जाता हैः-

क्रमांक	जनपद	लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड
1.	बिजनौर	संलग्नक-1 (क) एवं 1 (ख)
2.	अमरोहा	संलग्नक-2 (क) एवं 2 (ख)
3.	मुजफ्फरनगर	संलग्नक-3 (क) एवं 3 (ख)
4.	मेरठ	संलग्नक-4 (क) एवं 4 (ख)
5.	हापुड़	संलग्नक-5 (क) एवं 5 (ख)
6.	बुलंदशहर	संलग्नक-6 (क) एवं 6 (ख)
7.	अलीगढ़	संलग्नक-7 (क) एवं 7 (ख)
8.	काशीराम नगर	संलग्नक-8 (क) एवं 8 (ख)
9.	फर्रूखाबाद	संलग्नक-9 (क) एवं 9 (ख)
10.	कन्नौज	संलग्नक-10 (क) एवं 10 (ख)
11.	सम्भल	संलग्नक-11 (क) एवं 11 (ख)
12.	बदायूँ	संलग्नक-12 (क) एवं 12 (ख)
13.	शाहजहांपुर	संलग्नक-13 (क) एवं 13 (ख)
14.	हरदोई	संलग्नक-14 (क) एवं 14 (ख)
15.	उन्नाव	संलग्नक-15 (क) एवं 15 (ख)
16.	कानपुर	संलग्नक-16 (क) एवं 16 (ख)

उपर्युक्त (क) में जनपद के नो डेवलपमेंट जोन के लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड दर्शाये गये हैं तथा (ख) में जनपद के रेग्यूलेटरी जोन के लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड दर्शाये गये हैं।

6. जनपद के सिंचाई विभाग उ0प्र0 के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (बाढ़ खण्ड) एवं जिन जनपदों में अधिशासी अभियन्ता (बाढ़ खण्ड) पदस्थापित नहीं हैं, वहां पर अधिशासी अभियन्ता (नोडल) के द्वारा नो डेवलपमेंट जोन एवं रेग्यूलेटरी जोन नक्शे पर एवं कार्यस्थल पर चिन्हित कराया जायेगा।

(3)

7. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट के आधार पर नो डेवलपमेंटजोन में निम्न प्रकार की गतिविधियां ही अनुमन्य होंगी:-

(i) अस्थाई निर्माण- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की पूर्व अनुमति के उपरान्त दैविक/प्राकृतिक आपदा या धार्मिक/सांस्कृतिक आयोजनों हेतु अस्थाई निर्माण कार्य।

(ii) एम0ओ0ई0एफ0 एण्ड सी0सी0 की गाइड लाइन्स के तहत नियंत्रित बालू/पत्थर/बजरी/ रिवर बेड मैटेरियल का खनन।

(iii) जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के उपरान्त संरक्षित स्मारक, मन्दिर, बोटिंग जेटीज, पार्क, घाट एवं शमशानघाट का अनुरक्षण एवं पुनरोद्धार।

(iv) जैविक खेती।

(v) स्थानीय पेड़ों/पौधों का व्यवसायिक गतिविधियों हेतु पौधारोपण।

(vi) बाढ़ कटाव एवं नियंत्रण, रिवर वाटर वे की डिसिल्टिंग।

(vii) क्षतिग्रस्त बंधों की मरम्मत एवं पुनरोद्धार/अनुरक्षण।

(viii) नदी के किनारे सांस्कृतिक/धार्मिक व अन्य सामान्य प्रयोजनों हेतु कच्चे रास्तों का निर्माण।

(ix) जल परिवहन, जल क्रीड़ा एवं नैविगेशन से सम्बन्धित गतिविधियां।

(x) नदी जल के भण्डारण, डायवर्जन एवं अन्य प्रयोजनों हेतु हाइड्रोलिक अभियांत्रिक संरचनायें।

(xi) सभी मौजूदा स्थायी/अस्थायी आवासीय व्यवसायिक/औद्योगिक व अन्य प्रयोजनों हेतु पूर्व निर्मित संरचनायें, जिनको राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त नदी के प्रवाह में अवरोध एवं प्रदूषण के प्राविधानों पैरा-6(3) जल संसाधन मंत्रालय नदी विकास एवं गंगा जीर्णोद्धार के अधिसूचना सं0-एस0ओ0-3187(इ), दिनांक 7 अक्टूबर 2016 (समय-समय पर संशोधित) के आधार पर अनुमन्य संरचनायें।

उक्त जोन को फ्लड प्लेन जोन के रूप में ही संरक्षित किया जायेगा एवं अन्य सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बन्द या विस्थापित किया जायेगा।

8. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट के आधार पर रेग्यूलेटरी जोन में निम्न गतिविधियां अनुमन्य होंगी।

(i) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित रेड श्रेणी के उद्योग प्रतिबन्धित रहेंगे।

(ii) उत्तर प्रदेश आवास विकास/शहरी विकास/नगर पालिका/ग्रामीण विकास परिषद द्वारा अनुमन्य आवासीय/व्यवसायिक/संस्थागत/स्कूल/उपचार केन्द्र का निर्माण, जिनका प्लिंथ लेविल फ्लड लाइन के ऊपर हो एवं छत अथवा प्रथम तल का लेविल 100 वर्ष के बाढ़ के लेविल से ऊपर हो तथा छत अथवा प्रथम तल पर जाने हेतु सीढ़ियों का रास्ता हो, का निर्माण कार्य।

(iii) नदी जल के भण्डारण, डायवर्जन एवं अन्य प्रयोजनों हेतु हाइड्रोलिक अभियांत्रिक संरचनायें।

(iv) प्रदूषण मुक्त घरेलू उद्योग।

(v) पुलों, सड़कों व अन्य सामान्य सुविधाओं का निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण।

(vi) जल मार्ग सुविधा के कार्य।

(vii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा अनुमन्य ग्रीन एवं ओरेंज श्रेणी के उद्योग।

(viii) जल क्रीड़ा एवं जल परिवहन से सम्बन्धित गतिविधियां।

(ix) स्टोन क्रशिंग प्लांट।

उक्त जोन को रेग्यूलेटरी जोन के रूप में ही संरक्षित किया जायेगा एवं अन्य सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बन्द या विस्थापित किया जायेगा।

9. ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में चल रही गतिविधियों/नई गतिविधियों या अतिक्रमण की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से शासनादेशों में निहित प्राविधानों के तहत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण की स्थिति में सम्बन्धित नगर पालिका/नगर विकास विभाग/नगर निगम/विकास प्राधिकरण द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

(4)

10. जिलाधिकारी स्तर पर नो डेवलपमेंट/रेग्यूलेटरी जोन की निगरानी के लिए प्रत्येक माह बैठक आहूत की जायेगी। विभागाध्यक्ष स्तर पर भी प्रत्येक माह इस सम्बन्ध में बैठक आहूत कर उक्त बिन्दुओं पर चर्चा/परिचर्चा करते हुए सुसंगत आख्या शासन को उपलब्ध करायेंगे तथा किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को रोकने/हटवाने के लिए सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

11. आर0बी0ओ0 एक्ट, यू0पी0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट-1973 तथा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट-1976 के अन्तर्गत नो डेवलपमेंट/रेग्यूलेटरी जोन में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु कोई अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं दिया जायेगा, और न ही भू-मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा। उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने हेतु उक्त अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

12. ऐसे क्षेत्र जो बिन्दु सं0-(6), (7) एवं (10) से अच्छादित नहीं हैं, उसमें औचित्य पाये जाने पर नार्दन इण्डिया कैनाल एवं ड्रेनेज एक्ट-1873 की धारा-55 के अन्तर्गत क्षेत्रों को अधिसूचित करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से बिन्दु सं0-08 में उल्लिखित एजेंसियों द्वारा अपने-अपने कार्य क्षेत्र में अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जायेगी साथ ही सी0आर0पी0सी0 की धाराओं में भी समानान्तर कार्यवाही की जाये।

13. जिलाधिकारी द्वारा यू0पी0 फ्लड इमरजेंसी पावर (एक्वीजीशन एवं रिक्वीजीशन) एक्ट 1991 का प्रभावी प्रयोग किया जाये।

14. सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा नदियों के नो डेवलपमेंट/रेग्यूलेटरी जोन में अवैध निर्माणकर्ताओं को सचेत किया जाये कि वह अपने अवैध निर्माण को तुरन्त हटा लें। यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि अवैध निर्माण के कारण बाढ़ से होने वाली क्षति की कोई प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नहीं की जायेगी तथा बाढ़ सुरक्षा कार्य नहीं कराये जायेंगे, साथ ही अवैध निर्माण से होने वाली क्षति की वसूली अवैध निर्माणकर्ताओं से की जायेगी। अवैध निर्माण/अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाने का प्रयास किया जाये। यदि स्वेच्छा से न हटाया जाये तो उपरोक्त प्रस्तर (10) तथा (11) की विधिक व्यवस्थाओं के अधीन कार्यवाही की जाये। सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं नगर पालिका परिषदों द्वारा अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अवैध निर्माणकारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये।

15. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित थानाध्यक्षों के माध्यम से नो डेवलपमेंट/रेग्यूलेटरी जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

16. सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न होते ही पुलिस एवं जिला प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक हटाये जाने की व्यवस्था नो डेवलपमेंट/रेग्यूलेटरी जोन में भी कड़ाई से अनुपालन कराया जाये।

17. नो डेवलपमेंट/रेग्यूलेटरी जोन में अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटाये जाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही न करने पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

18. अतिक्रमणकारियों/अवैध निर्माणकर्ता को राशन कार्ड, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन आदि राजकीय सुविधायें उपलब्ध न कराई जायें।

19. प्रकरण में विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 के दिनांक 06.08.2020 के उपरोक्त प्रस्तावानुसार मा0 एन0जी0 टी0 के आदेशों के अनुपालन में उ0प्र0 की सीमान्तर्गत जनपद बिजनौर से उन्नाव, कानपुर तक गंगा नदी के दोनों किनारों से अंकित लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड तक नो डेवलपमेन्ट/नो कन्स्ट्रक्शन जोन अधिसूचित किये जाने की अधिसूचना निर्गत करते हुए अधिसूचित जोन में किसी भी प्रकार के निर्माण/अतिक्रमण को रोकने हेतु उपर्युक्त उल्लिखित सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा यथापेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

20. उक्त शासनादेश पूर्व में सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 द्वारा शासनादेश संख्या-1149/18-27-सिं0-3-52एल/18, दिनांक 17 अक्टूबर, 2018 को अतिक्रमित करते हुए तदनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्गत किया जा रहा है।

21. उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

अनिल गर्ग
सचिव।

(5)

संख्या-164/2020/2031(1)/20-27-सिं0-4 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अध्यक्ष राजस्व परिषद, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
9. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 एवं प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10. संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
11. संबंधित जनपद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
12. संबंधित जनपद के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, उ0प्र0।
13. संबंधित जनपद के प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, उ0प्र0।
14. संबंधित क्षेत्र के नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष, उ0प्र0।
15. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उ0प्र0।
16. संबंधित क्षेत्र के अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना प्रदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए स्थानीय दूरदर्शन पर समाचार के माध्यम से प्रसारित कराने का कष्ट करें।
18. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 को उपर्युक्त प्रस्तर-9 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
19. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग।
20. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

मुश्ताक अहमद
विशेष सचिव।

संलग्नक-(घ)

प्रभारी अधिकारी (प्रवर्तन जोन-1)
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

पत्रांक डी/1236/प्र0अ0(प्र0-1)/का0वि0प्रा0/25-26 दिनांक-04-11-25

महोदय,

कृपया स्वकीय कार्यालय पत्रांक सं0-डी/559/सा-14-15 दिनांक 11.08.2025 के क्रम में स्टेट मिशन फार क्लीन गंगा, उत्तर प्रदेश, डिपार्टमेन्ट ऑफ नमामि गंगे एण्ड रूरल वाटर सप्लाई के संलग्न पत्र संख्या-189/85-पी/एस0एम0सी0जी0.-यू0पी0/01 दिनांक 22.07.2025 के अनुपालन में शिकायतकर्ता श्री राजेश गोयल, निवासी-योग गैलेक्सी सोसाइटी, सिविल लाइन्स, कानपुर द्वारा गंगा नदी के किनारे से 30 मी0 दूरी पर अवैध रूप से अनाधिकृत निर्माण किये जाने सम्बन्धी शिकायत की जांच हेतु समिति गठित की गयी समिति द्वारा संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार जांच आख्या निम्नवत् हैः-

"स्थलीय निरीक्षण किया गया, स्थलीय निरीक्षणोपरान्त अवगत कराना है कि उक्त शिकायत में उल्लिखित भूखण्ड संख्या-23 व भूखण्ड संख्या-24 पर स्थित भवन निर्मित है। शिकायत में उल्लिखित उक्त भूखण्ड संख्या-23 व 24 पर किये गये निर्मित निर्माण के संबंध में प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। भवन संख्या-एचएन-23 15/83 पार्ट लठवाली गली सिविल लाइन्स, पर कार्यवाही विहित प्राधिकारी के न्यायालय में संस्थित वाद संख्या-KDA/ANI/2025/00004082 अर्धन्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन है एवं भवन संख्या-एचएन-24 15/83 पार्ट लठवाली गली सिविल लाइन्स, पर कार्यवाही विहित प्राधिकारी के न्यायालय में संस्थित वाद संख्या-KDA/ANI/2025/00004081 अर्धन्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन है। भवन संख्या-एचएन-23 15/83 पार्ट लठवाली गली सिविल लाइन्स, कानपुर नगर के भवन स्वामी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी है जिसका मानचित्र संख्या-15/1812/845/भवन/05-06 दिनांक 13.04.2006 है (छायाप्रति संलग्न) तथा भवन संख्या-एचएन-24 15/83 पार्ट लठवाली गली सिविल लाइन्स, कानपुर नगर के भवन स्वामी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी है जिसका मानचित्र संख्या-110/536/275/भवन/06-07 दिनांक 23.07.2008 है (छायाप्रति संलग्न) गुण-दोष के आधार पर जांच के बाद निर्णय लिया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार

भवदीय,
[signature]
04/11/25
(प्रभारी अधिकारी)
प्रवर्तन जोन-1
का0वि0प्रा0

F04

Scanned with OKEN Scanner

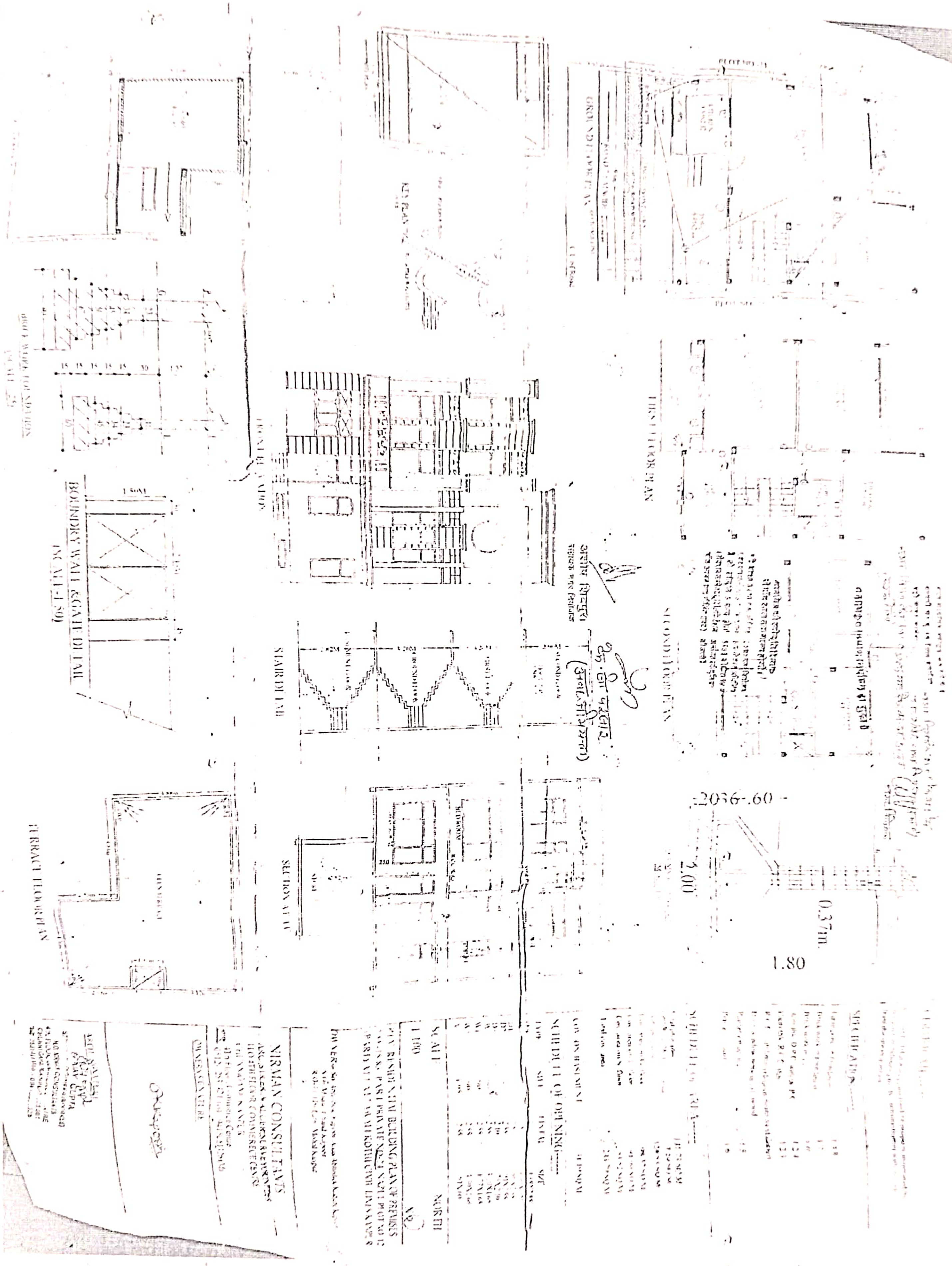
GROUND FLOOR PLAN
FIRST FLOOR PLAN
SECOND FLOOR PLAN
TERRACE FLOOR PLAN
STAIR DETAIL
SECTION AT 'B'
BOUNDARY WALL & GATE DETAIL
SCALE-1:50
NIRMAN CONSULTANTS
2036.60
2.00
0.37m.
1.80

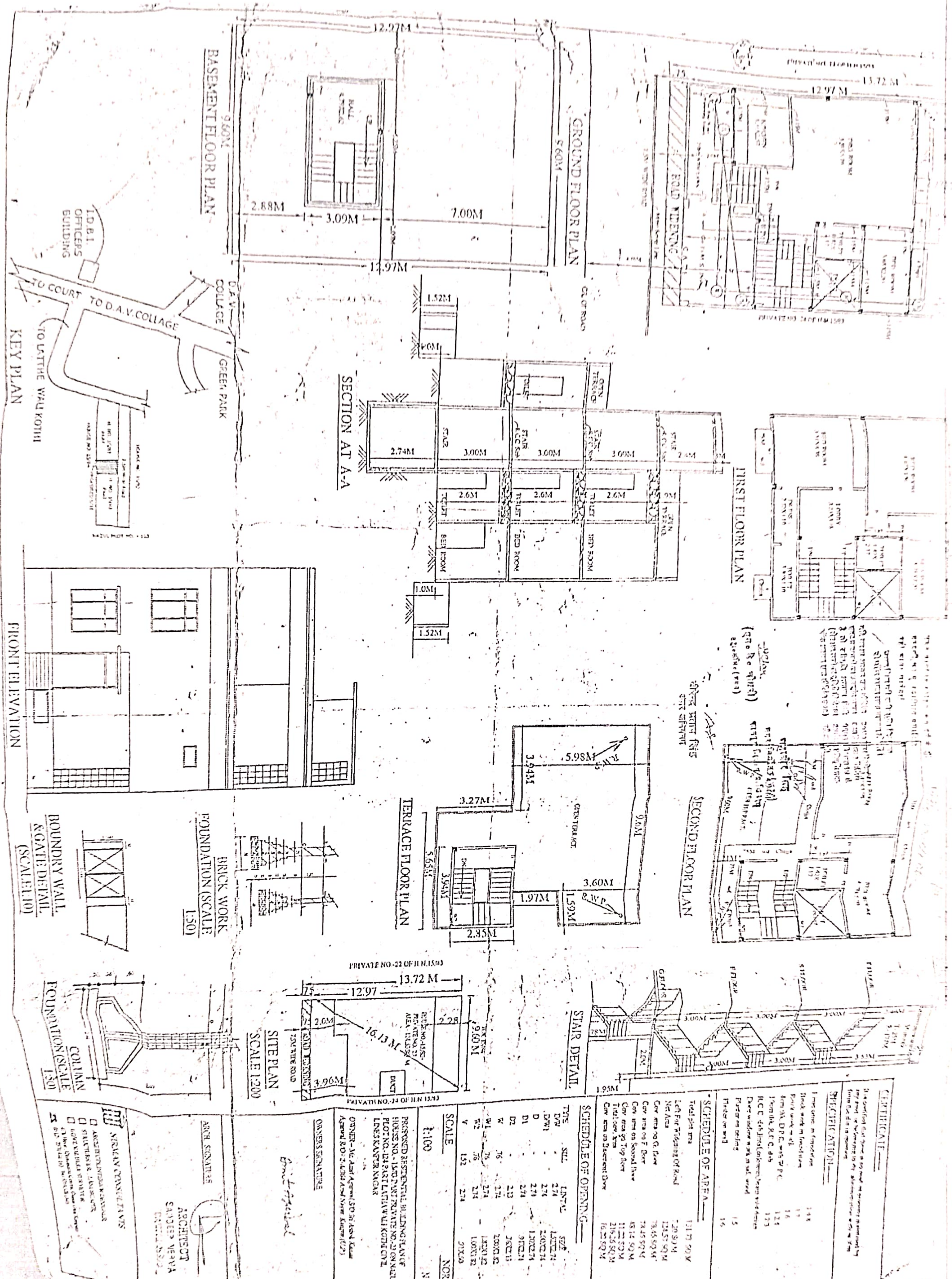

Scanned with OKEN Scanner

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

Appeal /~~OA~~ NO. 464 of 2025

In re:

Rajesh Goel — Plaintiff /Appellants/ Petitioner/Complainant

VERSUS

State of UP — Defendant/Respondent/ Accused

KNOW ALL to whom these present shall come that I/We Under Signed the above named do hereby appoint (herein after called the advocate/s) to be my/our Advocate in the above noted case & authorize :-

Mr.Pradeep Misra, Mr. Daleep Dhyani, Advocates,
138, New Lawyers Chamber, Supreme Court of India,
New Delhi, Ph. :011-23070011, Mob. 9810252518, 9811070721

To act, appear and plead in the above-noted case in this Court or in any other Court in which the same may be tried or heard and also in the appellate Court including High Court subject to payment of fees separately for each Court by me/ us.
To sign, file verify and present pleadings, appeals cross objections or petitions for execution review, revision, withdrawal, compromise or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages.
To file and take back documents to admit and/or deny the documents of opposite party.
To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.
To take execution proceedings.
To deposit, draw and receive money, cheques, cash and grant receipts thereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case.
To appoint and instruct any other Legal Practitioner, authorizing him to exercise the power and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may think it to do so and to sign the Power of Attorney on my/our behalf.
AND I/We the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purposes.
AND I/We undertake that I / we or my /our duly authorized agent would appear in the Court on all hearings and will inform the Advocates for appearance when the case is called.
AND I /we undersigned do hereby agree not to hold the advocate or his substitute responsible for the result of the said case. The adjournment costs whenever ordered by the Court shall be of the Advocate which he shall receive and retain himself.
AND I /we the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me/us to be paid to the Advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settled is only for the above case and above Court. I/We hereby agree that once the fee is paid. I/we will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever. If the case lasts for more than three years, the advocate shall be entitled for additional fee equivalent to half of the agreed fee for every addition three years or part thereof.

IN WITNESS WHEREOF I/We do hereunto set my /our hand to these presents the contents of which have been understood by me/us on this 31 day of 12 2025

Accepted subject to the terms of fees.

(PRADEEP MISRA) Advocate
(DALEEP DHYANI) Advocate (D/435/01)

Client
Anuj Kumar Chaubey
Law Officer-1
U.P. Pollution Control Board
Lucknow

ADVOCATES' WELFARE FUND STAMP ₹25 BAR COUNCIL OF DELHI 2455480 TWENTYFIVE RUPEES